राजस्थान सरकार
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-2) विभाग

क्रमांकः प.1(1)चिस्वा/ग्रुप-2/2020 — जयपुर, दिनांक : 05.04.2021

आदेश

प्रदेश में कोविड-19 से संक्रमित मरीजों की बढती संख्या के परिप्रेक्ष्य में आमजन को कोविड-19 का सहज, सुलभ एवं सुगम उपचार उपलब्ध कराने तथा मानव जीवन को बचाने के दृष्टिगत व्यापक लोकहित में विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 02.04.2021 के द्वारा राज्य में स्थित ऐसे निजी अस्पताल जिनकी शैय्या क्षमता 60 या 60 से अधिक है, की कुल शैय्या क्षमता के 10 प्रतिशत एवं आई. सी. यू. में भी 10 प्रतिशत बैड्स कोविड-19 मरीजों के उपचार हेतु आरक्षित किये गये थे।

विभाग के आदेश दिनांक 02.04.2021 की निरन्तरता में राजस्थान महामारी अधिनियम, 2020 की धारा 4 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए **राज्य में स्थित ऐसे निजी अस्पताल जिनकी शैय्या क्षमता 60 या 60 से अधिक है, उनके प्रबन्धन को निर्देशित किया जाता है कि वे दिनांक 09.04.2021 से अपनी कुल शैय्या क्षमता के 25 प्रतिशत एवं आई. सी. यू. में भी 25 प्रतिशत बैड्स कोविड-19 मरीजों के उपचार हेतु आरक्षित रखते हुए मरीजों का समुचित उपचार करें।**

उक्त अस्पतालों में कोविड-19 से संक्रमित मरीजों का उपचार विभाग की अधिसूचना दिनांक 03.09.2020 के द्वारा निर्धारित दरों व शर्तों पर किया जाए। उक्त निर्देशों की सख्ती से पालना सुनिश्चित की जावे।

(सिद्वार्थ महाजन)
शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः-

1. प्रमुख सचिव, मा. मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान।
2. विशिष्ठ सहायक, मा. चिकित्सा मंत्री महोदय, राजस्थान।
3. विशिष्ठ सहायक, मा. चिकित्सा राज्य मंत्री महोदय, राजस्थान।
4. वरिष्ठ उप सचिव, मुख्य सचिव महोदय, राजस्थान।
5. निजी सचिव, शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, राजस्थान।
6. निजी सचिव, शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान।
7. समस्त जिला कलक्टर, राज. को प्रेषित कर लेख है कि वे अपने मुख्यालय पर स्थित ऐसे निजी चिकित्सालय जिनकी उपरोक्तानुसार बैड क्षमता है उनसे समन्वय कर उनमें कोविड-19 से संक्रमित मरीजों का ईलाज अस्पताल के परिसर में ही पृथक से वार्ड/विंग/फ्लोर में करने हेतु निर्देशित करें।
8. समस्त प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, मेडिकल कॉलेज, राज.
9. समस्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, जयपुर, राजस्थान।
10. समस्त संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, जोन राजस्थान।
11. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, राजस्थान।
12. समस्त प्रमुख चिकित्सा अधिकारी।
13. समस्त निजी चिकित्सालय, राज.।
14. जन सम्पर्क अधिकारी, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, जयपुर।
15. निजी/रक्षित पत्रावली।

(संजय कुमार)
शासन उप सचिव